

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या 8 / 2020

निर्णय दिनांक 20.7.20

उनवान

आरूषी गोयल पुत्री श्री मुकुट बिहारी गोयल जरिये अधिकृत मैनेजर श्री विपुल सक्सैना पुत्र श्री किशन नारायण सक्सैना, कार्यालय - माथुर वैश्य नगर, टोंक रोड जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्योराम लौघा पुत्र श्री सुजी लाला जाति लौघा उम्र 52 वर्ष निवासी-ग्राम जयसिंहपुरा चाकसू जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर

— अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद के करवाने बाबत।

प्रार्थी ग्राम जयसिंहपुरा, पटवार हल्का गिरधारीलालपुरा, भु.अभि.नि क्षेत्र छान्देल कला तहसील चाकसू में खातेदार काश्तकार है जिनके खाता संख्या 108 के खसरा नम्बर 25, 26, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 145, 146, कुल किता 12 कुल रकबा 1.99 है0 भूमि वाके ग्राम जयसिंहपुरा, पटवार हल्का गिरधारीलालपुरा, भु.अभि.नि क्षेत्र छान्देल कला तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी उक्त खातेदार भूमि की पत्थर गढी करवाने हेतु निवेदन किया गया है, प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश किये जाने पर गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब सरकार




उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

लिया गया जो संलग्न मिसल है वकील प्रार्थिया को सुना गया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 108 के खसरा नम्बर 25, 26, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 145, 146, कुल किता 12 कुल रकबा 1.99 है० भूमि वाके ग्राम जयसिहपुरा, पटवार हल्का गिरधारीलालपुरा, भु.अभि.नि क्षेत्र छान्देल कला तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित है की भूमि पत्थरगढी अप्रार्थीगण व प्रार्थी एवं पडौसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नही हो तक्ष फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
90-7-20
(एस0डी0एम0) चाकसू